



31

संख्या / No.....

क्रमांक:-पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2023-24/2076
 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
 कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
 INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date. 30/10/23

काजाल महलेखाकार (ले.ए.ए.)
 डी.ए.ए.ए.ए., रिजर्व बैंक ऑफ़
 इण्डिया के पास डेपॉजिट-500000

विषय:- 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के आदेश दिनांक 25.07.2023 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र संख्या 3334-H दिनांक 11.10.2023 प्राप्त हुआ है। राजस्थान राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के आदेश दिनांक 25.07.2023 की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की है।(प्रति संलग्न)

अतः निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त आदेश दिनांक 25.07.2023 आपके कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (आदेश की कोपी)

भवदीय,



वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

O/c Prt. Accountant General (A&E)
 AP & Telangana, Hyderabad
 19-OCT-23



608626



राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687
वेबसाईट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in



क्रमांक:- प.5(11)/निपेवि/नियम/2018/पार्ट-5/3334-11

दिनांक:- 11/10/23

महालेखाकार
(लेखा एवं हक),
राजस्थान, जयपुर

विषय :- 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के आदेश दिनांक
25.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के सन्दर्भित आदेश द्वारा राजस्थान राज्य
के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के
आदेश दिनांक 25.07.2023 प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

PA

श्रीकांती
12/10

दि. - 26/8
10/10/23

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) Office of the Pr. Accountant General (A&E) प्राप्ती संख्या / Receipt No. ५४५ 12 OCT 2023 राजस्थान, जयपुर-302005 Rajasthan, Jaipur-302005

भवदीय

(डॉ देवराज)
निदेशक